THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE BANK LTD
दि राजस्थान स्टेट को—ऑप0 बैंक लि0
Opp. Nehru Balodyan, Tonk Road, Jaipur - 302 015
दूरभाष स0 2740487 फैक्स स0 2744810

परिचालन अनुभाग

न0आरएससीबी / परि0 / अल्प0 / फा.45 / 2009-2010 / 2466 दिनांक: 10.6.2009

प्रबन्ध निदेशक
दि सेण्ट्रल को—ऑप0 बैंक लि0
....

विषयः—कृषक मित्र योजना में संशोधन बाबत।

प्रसंगः— संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक फा.46(21) सविरा / बैंक—2 / 89 दिनांक 19.05.2009

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लें जिसके द्वारा कृषक मित्र योजनान्तर्गत वर्तमान में अग्रिम की जाने वाली अधिकतम साख सीमा में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:—

योजना का बिन्दु संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
4.1	योजनान्तर्गत वही कृषक योग्य होंगे, जिनके पास न्यूनतम चार (4) एकड़ सिंचित भूमि है। योजना के अन्तर्गत ऋणों के मापदण्ड वहीं होंगे जो मापदण्ड अल्पकालीन कृषि ऋणों पर प्रचलित हों। योजनान्तर्गत कोटा, बून्दी एवं गंगानगर बैंक के नहर से सिंचित कमाण्ड एरिया में अधिकतम ऋण अल्पकालीन रूपये 2.50 लाख एवं राज्य के शेष भाग में 2.00 लाख की अधिकतम साख सीमा प्रति ऋणी कृषक स्वीकृत की जा सकेगी।	योजनान्तर्गत वही कृषक योग्य होंगे, जिनके पास न्यूनतम चार (4) एकड़ सिंचित भूमि है। योजना के अन्तर्गत ऋणों के मापदण्ड वहीं होंगे जो मापदण्ड अल्पकालीन कृषि ऋणों पर प्रचलित हों। योजनान्तर्गत कोटा, बून्दी, हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर बैंक के नहर से सिंचित कमाण्ड एरिया में अधिकतम ऋण अल्पकालीन रूपये 4.00 लाख एवं राज्य के शेष भाग में 3.50 लाख की अधिकतम साख सीमा प्रति ऋणी कृषक स्वीकृत की जा सकेगी।

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा जारी संदर्भित पत्र की प्रति इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरएससीबी / ओ / एसटी / 1658 दिनांक 21.05.2009 से आपको प्रेषित कर दी गई थी।

इस संदर्भ में पुनः लेख है कि संशोधित प्रावधान अनुसार कृषक मित्र योजनान्तर्गत ऋण अग्रिम किया जाना सुनिश्चित करें।

(अविनाश रणशाह)
प्रबन्ध निदेशक

संशोधित / परिष्कृत कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना

1. **योजना का नाम :–**

संशोधित/परिष्कृत कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना

2. **केन्द्रीय सहकारी बैंकों की पात्रता :–**

इस योजना के अंतर्गत राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंक ऋण वितरण कर सकेगें एवं शीर्ष बैंक से पुनर्भरण सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे ।

3. **ऋणी की पात्रता :–**

3.1 इस योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा हेतु संबंधित काश्तकार के पास न्यूनतम 4 एकड काश्त की जाने वाली सिंचित भूमि होनी चाहिए ।

3.2 इस योजनान्तर्गत ऋण वही काश्तकार प्राप्त कर सकेगा जिसके पास बारहों महिने चिरस्थायी सिंचाई के साधन सुनिश्चित हों तथा सिंचाई हेतु समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध हो । योजना के अंतर्गत मूलतः अल्पकालीन कृषि ऋण ही उपलब्ध करवाये जा सकेगें किन्तु फल एवं फूलों जैसे अंगूर, अनार, आंवला, आम, गुलाब आदि के लिये भी योजना के अंतर्गत परिचालनात्मक आवश्यकताओं के लिये अल्पकालीन ऋण से संबंधित आवश्यकताओं के लिये ऋण उपलब्ध करवाया जा सकेगा ।

3.3.1 इस योजना के अन्तर्गत बैकों द्वारा सीधे ही कृषक को नोमिनल सदस्य बनाकर साख सीमा स्वीकृत एवं उस पर लेनदेन किया जा सकेगा।

3.3.2 बैकों द्वारा पैक्स के माध्यम से भी इस प्रकार का ऋण वितरित किया जा सकेगा किन्तु इस हेतु वे ही पैक्स योग्य होंगी जो अमानतों का निर्धारित स्तर रखती है। अमानतों का स्तर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा। सहकारी समितियों को मिलने वाला मार्जिन बैकों एवं सहकारी समितियों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित किया जावेगा। सदस्य को समिति स्तर पर वर्तमान में अल्पकालीन ऋणों पर देय हिस्सा राशि के अनुसार हिस्सा राशि जमा करानी होगी किन्तु हिस्सा राशि फसली ऋण की अधिकतम सीमा पर ली जाने वाली राशि से अधिक नही होगी।

3.4 इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले ऋणी को संबंधित केन्द्रीय/प्राथमिक सहकारी भूमि विकास / व्यवसायिक बैंक के ऋणों के चुकारे में दोषी नहीं होना चाहिए । योजनान्तर्गत प्रस्तावित ऋणी ने ऋण राहत योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त नहीं की हो ।

3.5 योजनान्तर्गत इच्छुक ऋणी की ओर प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति से अल्पकालीन ऋण बकाया नहीं होना चाहिए ।

3.6 इस योजना के अन्तर्गत गैर नहरी क्षेत्रों में रूपये 50000 से अधिक ऋण तथा नहरी क्षेत्रों में रूपये 60000 से अधिक ऋण प्राप्त करने के इच्छुक/पात्र सदस्य ही साख सीमा

The Rajasthan State Cooperative Bank Ltd. JAIPUR

स्वीकृति हेतु पात्र होंगे । जब–जब टेक्नीकल कमेटी द्वारा सामान्य फसली ऋणों की अधिकतम सीमा में संशोधन किया जावेगा, यह सीमाऐं तदनुरूप ही उस परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तित समझी जावेंगी।

4. ऋणों का मापदण्ड :–

4.1 योजना के अंतर्गत मात्र वही कृषक योग्य होगें, जिनके पास न्यूनतम चार (4) एकड़ सिंचित भूमि है। योजना के अन्तर्गत ऋणों के मापदण्ड वही होंगे जो मापदण्ड अल्पकालीन कृषि ऋणों पर प्रचलित हों।

योजना के अंतर्गत कोटा, बून्दी एवं गंगानगर बैंक के नहर से सिंचित कमाण्ड एरिया में अधिकतम राशि 2.50 लाख रूपये और राज्य के शेष भाग में 2.00 लाख रूपये प्रति ऋणी साख सीमा स्वीकृत की जा सकेगी ।

4.2 योजनान्तर्गत संबंधित ऋणी को स्वीकृत साख सीमा के मुकाबले कम से कम दो गुनी मूल्य की जमीन रहन रखनी होगी जिसके मूल्यांकन का आधार पैरा 4.3 में दिया गया है ।

4.3 भूमि का मूल्यांकन क्षेत्र के उप–पंजीयक/तहसीलदार से प्रमाणित दरें या सहकारी विभाग द्वारा निम्नानुसार निर्धारित दरें, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जावेगा ।

सिंचित कृषि योग्य भूमि	60,000 रूपये प्रति एकड
असिंचित कृषि योग्य भूमि	20000 रूपये प्रति एकड
रेगिस्तानी या अर्द्धरेगिस्तानी इलाके की कृषि योग्य असिंचित भूमि	6000 रूपये प्रति एकड

5. ब्याज दर :–

5.1 योजनान्तर्गत ब्याज का निर्धारण केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मुद्रा बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, अपने कोषों की लागत एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पास उपलब्ध कोषों पर प्राप्त होने वाली आय के विकल्प को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करनी होगी, किन्तु योजना के अंतर्गत ब्याज के निर्धारण के समय यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले अल्पकालीन कृषि ऋणों पर काश्तकारों से लिये जाने वाला ब्याज किसी भी स्थिति में योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले ब्याज से अधिक न हो ।

ब्याज छमाही आधार पर सितम्बर एवं मार्च में या खाते में बकाया सम्पूर्ण राशि के चुकाने के समय वसूल किया जावेगा ।

5.2 ऋण पर ब्याज दर समय समय पर विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनीय होगी तथा ऋण चुकाने में दोष करने पर अवधिपार राशि का 3 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज वसूल किया जावेगा ।

The Rajasthan State Cooperative Bank Ltd. JAIPUR

6. ऋण की सुरक्षा :–

6.1 इच्छुक सदस्यों को निर्धारित साख सीमा की दोगुनी राशि की भूमि पर केन्द्रीय सहकारी बैंक के पक्ष में भार दर्ज कराना होगा। भार दर्ज होने के पश्चात ही ऋणी को चैक व पास बुक की सुविधा दी जावेगी।

6.2 ऋणी को अच्छी हैसियत वाले दो जमानतदारों की जमानत देनी होगी, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक को मान्य हो।

6.3 भूमि रहन किये जाने से संबंधित खर्चे कृषकों को स्वयं को वहन करने होंगे।

6.4 भूमि पर उत्पादित फसल पर बैंक का प्रथम भार होगा।

6.5 ऋण स्वीकृति के लिये भार मुक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र के स्थान पर प्रस्तावित ऋणी सदस्य का शपथ–पत्र लिया जावेगा जिसमें प्रस्तावित भूमि कहीं अन्य जगह रहन रखी हुई नहीं हो, का उल्लेख होगा।

7. ऋण प्राप्त करने एवं लेन–देन का तरीका:–

7.1 ऋणी को सीधे बैंक से साख सीमा प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक का नोमीनल सदस्य बनना होगा। यदि ऋणी सहकारी समिति के माध्यम से ऋण प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे सहकारी समिति का नियमानुसार सदस्य होना चाहिये/बनना होगा।

7.2 ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा काश्तकार को सीधे ही उपलब्ध कराया जावेगा अथवा पैरा संख्या 3.3.2 में वर्णित योग्यता रखने वाली सहकारी समितियों द्वारा भी ऋण उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

7.3 इस योजना के अन्तर्गत ऋणी द्वारा अपने खाते में कैश केडिट आधार पर चैक से लेनदेन किया जावेगा तथा ऋणी को वर्ष के दौरान (जुलाई से जून) कभी भी स्वीकृत साख सीमा के बराबर अथवा साख सीमा के पेटे रहे अधिकतम बकाया के बराबर राशि, जो भी कम हो, खाते में जमा करानी होगी (ब्याज सहित) अन्यथा बकाया राशि 30 जून से अवधिपार मानी जावेगी ।

7.4 लिमिट प्रति वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के लिए स्वीकृत की जावेगी, जिसका नवीनीकरण हर वर्ष गत वर्ष के लेनदेन एवं अन्य व्यवहार को देखते हुए किया जावेगा । आने वाले वर्ष के लिए साख सीमा का नवीनीकरण 15 जून तक करवा लिया जाना आवश्यक होगा ।

7.5 यदि आने वाले वर्ष के लिए साख सीमा का नवीनीकरण संबंधित ऋणी द्वारा नहीं कराया जावेगा या बैंक द्वारा नवीनीकरण के लिए मनाकर दिया जावेगा तो ऋणी के लिए आवश्यक होगा कि वह अपने खाते में वर्ष के अंत में समस्त बकाया राशि 30 जून तक चुका दे अन्यथा 30 जून को बकाया राशि को अवधिपार माना जावेगा ।

7.6 ऋणी को किसी अन्य संस्था/बैंक से ऋण बकाया न होने संबंधी एक नो ड्यूज प्रमाण पत्र सभी बैंकों से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा अथवा बकाया न होने का तस्दीकशुदा शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

The Rajasthan State Cooperative Bank Ltd. JAIPUR

7.7 कृषक को साख सीमा जारी रहने तक समस्त लेन–देन संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक से ही करने होगें ।

लेन–देन संतोषप्रद न होने तथा किसी शर्त की पालना न होने पर बैंक को उक्त साख सीमा के उपभोग पर रोक लगाने का अधिकार होगा व समस्त बकाया ऋण राशि तत्काल वसूल करने का बैंक को अधिकार होगा ।

8. अन्य :–

8.1 योजनान्तर्गत, ऋण प्राप्त करने वाले सदस्य को अपनी खाद की आवश्यकता की पूर्ति आवश्यक रूप से संबंधित प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति या प्राथमिक क्रय विक्रय सहकारी समिति से ही करनी होगी । इन दोनों के पास खाद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनसे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ऋणी बाजार से क्रय कर सकेगा । इस प्रकार क्रय किये गये खाद–बीज आदि के समस्त बिलों की छाया प्रतियां बैंक में समय समय पर प्रस्तुत की जानी होगी ।

8.2 उपरोक्त नियमों में बैंक द्वारा रजिस्ट्रार महोदय एवं प्रबंध निदेशक, शीर्ष सहकारी बैंक की कमेटी के निर्देशों के अनुरूप बदलाव किया जा सकेगा, जिसे मानने के लिए ऋणी बाध्य होगा ।

8.3 कृषक को साख सीमा आवेदन पत्र के साथ चालू जमाबन्दी व गिरदावरी, की नकल प्रस्तुत करनी होगी अथवा यदि कृषक के पास राजस्व विभाग द्वारा अधिकृत पास बुक हो तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी । बैंक अपनी संतुष्टिं के लिये उसकी मूल पास बुक भी देखेगा किन्तु जमाबंदी के आधार पर साख सीमा स्वीकृत की जावेगी ।

8.4 रिजर्व बैंक, नाबार्ड, शीर्ष बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा इन शर्तों के अलावा कोई शर्त लगाने, सूचना मांगने या कृषक की सम्पत्तियों का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

8.5 संबंधित शाखा प्रबंधक को ऋणी के सिंचाई के साधनों की सुनिश्चितता करने हेतु स्वयं मौके पर जाकर सत्यापन करना होगा तथा तदनुसार अपना प्रतिवेदन संबंधित ऋण प्रार्थना पत्र में शाखा प्रबंधक द्वारा दर्ज किया जावेगा ।

8.6 संयुक्त स्वामित्व की भूमि में भी किसी एक काश्तकार द्वारा ऋण चाहने की स्थिति में सभी अन्य काश्तकारों से भी सहमति पत्र, रहन रखने की सहमति और ऋणी काश्तकार द्वारा ऋण जमा नहीं कराने की स्थिति में बैंक द्वारा भूमि नीलाम करने की सहमति, आवश्यक रूप से ली जावेगी । सभी साझेदारों को केन्द्रीय सहकारी बैंक का नोमीनल सदस्य बनाया जावेगा । उपरोक्त तीनों दस्तावेजों में सभी काश्तकारों के फोटो लगाये जावेगें तथा बैंक का शाखा प्रबंधक उक्त सभी फोटो सत्यापित कर उक्त काश्तकारों के हस्ताक्षर करायेगा ।

8.7 योजना के अंतर्गत वसूली हेतु क्षेत्रीय स्टाफ/शाखा प्रबंधक को संयुक्त रूप से एवं अलग–2 उत्तरदायित्व ठहराया जावेगा ।

The Rajasthan State Cooperative Bank Ltd. JAIPUR

चूंकि यह योजना सहकारी विभाग द्वारा जारी संशोधनों के आधार पर जारी की जा रही है अतः पूर्व में जारी समस्त कृषक मित्र योजनाऐं स्वतः ही निरस्त समझी जावेंगी।